# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व दरख्वास्त संख्या : 173/2008

| सायलानः– | बनाम | गैरसायलान :– |
|---|---|---|
| 1. जगदीश पुत्र मोहनलाल | | 1. पुखराज पुत्र नारायण |
| 2. भगवान पुत्र मोहनलाल | | 2. सम्पतराज पुत्र नारायण |
| 3. कालूराम पुत्र मोहनलाल | | 3. ओमाराम पुत्र नारायण |
| 4. सोवनी बेवा मोहनलाल | | 4. अनोप पुत्र नारायण |
| जातियान–भांबी निवासी–बलाडा | | 5. पपु पुत्र नारायण |
| तहसील–जैतारण जिला–पाली | | 6. तुलछाई बेवा नारायण |
| | | 7. सुन्दरी पुत्री कुना |
| | | 8. पांचूड़ी पुत्री कुना जातियान–भांबी निवासी–बलाडा तहसील–जैतारण जिला–पाली |
| | | 9. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण तहसील–जैतारण जिला–पाली (राजस्थान) |

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजूः.11.12.2008

उपस्थितः– 1. श्री धर्मेश जांगिड़, अधिवक्ता, सायलान।
2. श्री चावण्डदान बाहरठ, अधिवक्ता, गै0सा0।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 24/06/2015

वकील मय सायलान ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा–बलाडा, तहसील–जैतारण में सायलान की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या नई 301 तथा खसरा नंबर 1095 आयी हुई हैं। नकल चालू जमाबंदी साथ पेश की हैं। खसरा नंबर 1095 रकबा 15–17 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि सायलान एवं गैरसायलान संख्या एक से आठ की सामलाती हैं तथा उक्त कृषि भूमि खाता संख्या नई 301 तथा खसरा नंबर 1095 में सायलान का 1/4 हिस्सा कायम हैं। उक्त कृषि भूमि गॉव–बलाडा, तहसील–जैतारण में आयी हुई हैं व सडक के किनारे पर है, जहां उक्त भूमि के पास में कोई भी सरकारी भवन या औद्योगिक संस्था आयी हुई नहीं है तथा न ही पास में कोई नहर तालाब व कुआं हैं, जिससे उक्त भूमि की पिलाई होती हो, इसमें सिर्फ साधारण श्रावण फसल ही होती हैं। सायलान उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं तथा मौके पर सायलान का कब्जा है, गैरसायलान की नियत खराब हो गयी है, उक्त भूमि सडक के किनारे आयी हुई होने से जमीन के वर्तमान में भाव बढ गये हैं। गैरसायलान की नियतबद्ध हो गई है व उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है तथा जबकि उनको ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है, गैरसायलान संख्या व शक्ति में ज्यादा है व लाठी के आधार पर पूरी उक्त वर्णित कृषि भूमि पर कब्जा करना चाहते है, यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादो में सफल हो जाते है, तो सायलान को असीम क्षति होगी व अपने खातेदारी साम्पैतिक व कानूनी अधिकारो से महरुम रह जायेगा जिसके लिये सायलान को विभिन्न प्रकार की दिवानी व फौजदारी मुकदमें बाजी करनी पडेगी। जिससे सायलान खर्चे से जैरबार हो जायेगे। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं होगी, इसलिये प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का श्रीमान के समक्ष विरुद्ध गैरसायलान के प्रस्तुत किया हैं। गैरसायलान सायलान के इस कृषि भूमि रकबा 15

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

बीघा 17 बीस्वा पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। इसके लिये गैरसायलान हमेशा सायलान के साथ लडाई झगडा गाली गलोच करने को आये दिन उतारु रहते हैं तथा सम्पूर्ण रकबा कुल 15 बीघा 17 बिस्वा बंटवारा होना बाकी हैं। उक्त भूमि खसरा नंबर 1095 में गैरसायलान संख्या एक पुखराज ने मकान का निर्माण कार्य शुरु कर दिया। गैरसायल एक पुखराज को मना करने के बाद भी मकान का निर्माण कर रहा हैं। जबकि जब तक कानूनन बंटवाड़ा नहीं हो जाता किसी भी निर्माण कार्य करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं, गैरसायल संख्या एक पुखराज व समस्त गैरसायलान एक से आठ को ऐसा करने से दावे के निर्णय तक रोका जावें। गैरसायल संख्या 09 को म्यूटेशन भरने व कोई भी दस्तावेज उक्त भूमि का पंजीयन करने से दावे के निर्णय तक रोका जावें। तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण को राज्य सरकार के प्रतिनिधि होने से आवश्यक से इनके विरुद्ध दावा करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता हैं। लेकिन दावा आवश्यक प्रकृति का होने के कारण दावा पेश करने की अनुमति बाबत अलग से 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा हैं व बाद न्यायालय की अनुमति से दावा पेश किया जा रहा हैं। सायलान उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार है काश्तकार होने से इनका प्रथम दृष्टया मजबूत मामला है तथा मौके पर कब्जा भी सायलान का हैं। इसलिये सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित हैं। यदि गैरसायलान ने उक्त कृषि भूमि रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा को अवैध व गैरकानूनी रुप से कब्जा, बेचान, रहन, वसीयत कर दिया व सायलान के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उपभोग एवं उपयोग रास्ते का उपयोग करने में दखल अंदाजी की, तो सायलान को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं होगी, इसलिये समस्त गैरसायलान एक से आठ को ऐसा करने से दावे के निर्णय तक रोका जावें।

सायलान का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–बलाड़ा में पेश हुई। वकील गै0सा0 संख्या 7 व 8 ने जबाब पेश करने हेतु समय चाहा हैं। बार–बार समय दिये जाने के बावजूद भी जबाब पेश नही करने से जबाब बन्द किया गया। गै0सा0 संख्या 1 से 6 का जबाब पेश हो चुका हैं। मौका रिपोर्ट पेश हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जबाब एवं मौका कमिश्नर रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन कर मनन किया गया। लिहाजा मूल वाद निर्णय तक उभय पक्षकारान को कब्जे काश्त व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना उचित समझते हैं।

## –:: आदेश ::–

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि सरहद मौजा–बलाडा, तहसील–जैतारण में सायलान की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 1095 रकबा 15–17 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि में उभय पक्षकारान को कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 24/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–बलाड़ा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner